

प्राक्कथन

18 वीं शताब्दी के महान फ्रांसीसी दार्शनिक जीन-जैक्यूस रूसो ने कहा था कि “मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और पैदा होते ही सर्वत्र बन्धनों में जकड़ जाता है और ये बन्धन किसी और के द्वारा नहीं बल्कि खुद हमारे द्वारा ही बनाये होते हैं।” यदि महान रूसो के इस कथन पर गहराई से सोचें तो समझ में आता है कि मानव समाज को सुचारु रूप से चलाने और नियंत्रित करने के लिये ऐसे बन्धनों की जरूरत भी होती है। इन बन्धनों में दो प्रमुख बन्धन हैं- धार्मिक बन्धन और आर्थिक बन्धन। धर्म के नाम पर जो नियम या बन्धन समाज में लागू किये जाते हैं उनसे मनुष्यों को मानसिक रूप से नियंत्रित किया जाता है जिससे कि वे समाज में शान्ति से जीवन यापन कर सकें तथा दूसरों की स्वतन्त्रता का सम्मान करते हुए एक सद्भाव पूर्ण वातावरण में रह सकें। लेकिन समाज को सुचारु रूप से चलाने के लिये केवल धर्म ही काफी नहीं है, इसके लिये एक और महत्वपूर्ण घटक होता है जिसे अर्थ (धन) के नाम से जाना जाता है। आज के समय में किसी भी देश का उत्थान और पतन उसकी आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो इसके लिये सरकारें, नागरिकों पर टैक्स या कर लगाती हैं। बाद में इन्हीं करों से देश की सुरक्षा, समाज कल्याण और मानव कल्याण के कार्य किये जाते हैं।

जब किसी देश या समाज की पुरानी प्रणालियां और परम्परायें टूटतीं हैं तथा उनके स्थान पर किसी नयी प्रणाली का उदय होता है तो लोगों का भ्रामक स्थिति में आना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश में जीएसटी अर्थात् गुड्स और सर्विसेज टैक्स के लागू होने से। जब से हमारा देश आजाद हुआ था, देश की अप्रत्यक्ष कर-प्रणाली में सुधारों के नाम पर केवल नये-नये टैक्स जोड़े ही जाते रहे थे, कभी VAT, कभी सर्विस टैक्स कभी कोई न कोई सेस। पहले से प्रचलित टैक्स कभी समाप्त ही नहीं किये गये। एक्साइज और सेन्ट्रल सेल्स टैक्स तथा चुंगी जैसे टैक्स तो सदियों से जारी हैं। लेकिन 1 जुलाई 2017 से जीएसटी को लागू कर दिया गया है और सभी पुराने अप्रत्यक्ष कर (एक्साइज, सेन्ट्रल सेल्स टैक्स, चुंगी, वैट इत्यादि) समाप्त कर दिये गये हैं। (पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया गया है और इन पर अभी भी एक्साइज तथा वैट लागू है।) अब आपको वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर केवल जीएसटी (जीएसटी के तीन भाग हैं-सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) देना होगा। इससे करदाताओं को अनेक सरकारी तन्त्रों के लिये अलग-अलग तरह की एकाउंटिंग करने से निजात मिलेगी और केवल जीएसटी की रिटर्न ही दाखिल करनी होगी।

इस पुस्तक का निर्माण जीएसटी कर-प्रणाली के सम्बन्ध में पैदा हुई भ्रामक स्थितियों को दूर करने के उद्देश्य से किया गया है। इसमें जीएसटी कर-प्रणाली के बुनियादी सिद्धान्तों से लेकर उसके व्यवहारिक प्रयोग को आम-बोल चाल की भाषा हिंदी में समझाया गया है। पुस्तक की सहायता से आप अपने व्यवसाय को जीएसटी के अनुरूप ढाल सकेंगे और जीएसटी सिस्टम में अपना पंजीकरण कराने से लेकर रिटर्न तक आसानी से दाखिल कर सकेंगे। जीएसटी के सम्बन्ध में करदाताओं के मन में उठ रही शंकाओं को दूर करके स्वयं को इस नये सिस्टम के प्रस्तुत किया गया है जिससे कि करदाता अपने मन में उठ रही शंकाओं को दूर करके स्वयं को इस नये सिस्टम के अनुरूप ढाल सकें। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास सभी पाठकों के लिये लाभदायक सिद्ध होगा और वे जीएसटी कर-प्रणाली की जटिलताओं को आसानी से समझकर इस नये सिस्टम को अपना सकेंगे तथा देश की प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दे सकेंगे।

विषय सूची

1. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) परिचय	1-26
2. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के लिये रजिस्ट्रेशन	27-42
3. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) पोर्टल परिचय	43-52
4. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) कम्पोजीशन स्कीम	53-60
5. आपूर्ति: स्थान और समय	61-83
6. ई-वे बिल और आईजीएसटी (IGST)	84-92
7. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में माइग्रेसन	93-118
8. इनपुट क्रेडिट टैक्स (आईटीसी)	119-140
9. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में करों का भुगतान	141-156
10. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में रिटर्न भरना	157-174
11. मूल्यांकन और लेखा परीक्षण	175-180
12. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) में रिफंड	181-185
13. डिमांड, रिकवरी और अपील	186-206
14. निरीक्षण, अभियोग और गिरफ्तारी	207-222
15. अपराध और दंड अभियोजन	223-232
16. GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) सामान्य प्रश्नोत्तर	233-340
⇒ बुनियादी प्रश्नोत्तर	233-235
⇒ जीएसटी में पंजीकरण से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	236-241
⇒ कम्पोजीशन स्कीम से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	242-246
⇒ लेवी से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	247-249
⇒ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	250-252
⇒ ट्रांजीशन से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	253-257
⇒ आयात-निर्यात से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	258-272
⇒ चालान और रिटर्न से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	273-276
⇒ फार्मास्युटिकल (दवा उद्योग) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	277-280
⇒ रोजमर्रा के उपयोग से जुड़ी वस्तुओं (FMCG) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	281-288
⇒ ई-कॉमर्स से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	289-294

⇒ खनन और लीज से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	295-304
⇒ जॉब वर्क और करारोपण से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	305-306
⇒ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलोजी से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	307-313
⇒ कपड़ा उद्योग (टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज) से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	307-313
⇒ शासकीय सेवाओं से सम्बन्धित प्रश्नोत्तर	314-331
⇒ मिश्रित प्रश्नोत्तर	332-340

परिशिष्ट-अ: हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर (HSN) कोड **341-417**

1. Live Animal, Bovine and Poultry	342
2. Meat & Animal Offal of Animals	342
3. Fish Meat & Fillets	343
4. Eggs, Honey & Milk Products	344
5. Non Edible Animal Products	344
6. Live Trees and Plants	345
7. Edible Grains	347
8. Milling Industry Products	348
9. Oil Seeds, Fruits and Part of Plants	349
10. Gum, Resins, Vegetable SAP & Extracts	350
11. Fats, Oils and Waxes their Fractions	351
12. Preserved/Prepared Food Items	352
13. Sugar, Jaggery, Honey & Bubble Gumes	352
14. Chocolate and Cocoa Products	353
15. Pizza, Cake, Bread, Pasta & Waffles	353
16. Edible-Plants, Fruits, Nuts and Juices	354
17. Tea and Cofee Extract & Esence	354
18. Water - Mineral & Aerated	355
19. Flours, Meals and Pellets	356
20. Tobacco, Stemmed & Stripped	357
21. Salts and Sands	359
22. Mineral Ores and Slags	360
23. Fossil Fuels - Coal & Petroleum	361
24. Gases and Non-Metals	363
25. Hydrocarbons-Cyclic & Acyclic	363
26. Drugs and Pharmaceuticals	364
27. Fertilisers	365
28. Tanning and Colouring Products	365
29. Essential Oils, Beauty Products	367
30. Soap, Waxes, Polish products	368
31. Casein, Albumin, Gelatin, Enzymes	368
32. Propeppants, Explosives, Fuses, Fireworks	369
33. Photographic and Cinematographic Films	369
34. Insecticides, Artificial Carbon & Graphite	370
35. Polymers, Polyethylene, Cellulose	372
36. Rubber, Plates, Belts and Condensed Milk	373
37. Raw hides and Skin Leather	374
38. Trunks, Suit-cases, Vanity Cases	375
39. Raw Fur Skins, Articles of apparel	375
40. Fuel wood, Wood Charcol	376
41. Natural Cork, Shuttlecock Cork	377

42. Plaiting Materials, Basketwork	377
43. Mechanical & Chemical woodpulp	377
44. Newsprint, Uncoated paper & paperboard	378
45. Printed Books, Brochures, Newspapers	379
46. Silkworm, Coccon, Yarn & Waste Woven Fabrics	380
47. Wool materials & Waste, Animal Hairs	381
48. Cotton materials, Synthetics & Woven fabrics	381
49. Flex raw, Vegetable materials & paper yarn	381
50. Synthetic felaments, Woven fabrics & Rayons	381
51. Synthetic felaments tows & polyster staple fiber	382
52. Towels, Napkins, ropes and Netting Materials	382
53. Carpets and Floor covering textile Handlooms	382
54. Labels, Bades, Woven pile & Chennile, Terry towelings	383
55. Rubberised textile fabrics, Convayer belts	384
56. Pile, Wrap, Men & Women Clothing	384
57. Blankets & Bedsheets	385
58. Shoes & Footwear Products	385
59. Hats and Accessories	385
60. Umbrellas and Accessories	386
61. Artificial Flowers, Wigs & False Beards	386
62. Monumental & Building Stones	386
63. Bricks, Blocks and Ceramics	387
64. Glasses, Mirros, Flasks	388
65. Pearls, Diamonds, Gold, Platinum	389
66. Iron, Alloys, Scrap & Granules	390
67. Iron tube & Sheets	391
68. Copper, Mattes, Rods, Bars, Wires, Plates	393
69. Nickel Mattes & Unwrought Nickel	394
70. Unwrought Aluminium -Rods, Sheets & Profiles	394
71. Unwrought -Led, Zinc, Tin Rods, Sheets & Profiles	395
72. Megnesium, Cobalt, Tungsten Articles	395
73. Hand Tools and Cutlery	396
74. Lock, Metal mounting & Fittings	397
75. Industrial Machinery	397
76. Electrical Parts and Electronics	403
77. Railway Locomotives and Parts	407
78. Tractors and Motor vehicles	408
79. Balloons, Parachutes and Airlift Gear	409
80. Cruise ships and Boats	409
81. Medical, Chemical and Astronomy	409
82. Watches and Clocks	411
83. Musical instruments	413
84. Military Weapons and Firearms	414
85. Furniture, Beding and lighing	414
86. Children Toys, Table and Board Game & Sports Goods	415
87. Pencil, Lighter, Toiletries	415
88. Painting, Decoratives Sculptures	417
89. Machinery Lab Chemicals	417

परिशिष्ट-ब: सर्विस एकाउंटिंग कोड (SAC) 418-442

परिशिष्ट-स: GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) शब्दावली 443-448